

अनवन; राज. राज्य जरिये तहसीलदार रावत भाटा खनाम चन्द्रकला
गौरह

प्र.स. : 01/2024

धारा : 86 RTIA

अप्रार्थीगणों के नोटिस पुनः अरकर पेश होने पर जारी हो। पत्रावली वास्ते वइन्तजार नोटिस जैसेस जरिद शि. 0AD दिनांक 19/12/24 का पेश हो।

S.D.0

19/12/2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रार्थी को अप्रार्थीगण के नोटिस जैसेस हेतु पूर्व में OS अवसर दिये जा चुके हैं बावजूद प्रार्थी अप्रार्थीगण के नोटिस जैसेस उस्तुत करने में असमर्थ रहे। जिससे पतीत होला है कि वादी प्रांपत्र को चलाना नहीं चाहते हैं। अतः वादी द्वारा नोटिस जैसेस उस्तुत करने में असफल रहने से प्रांपत्र अन्तर्गत धारा 86 RTIA को इसी स्तर पर CPC की आदेश 9 नियम 5 के अन्तर्गत नये सम्मन लाने में असमर्थ रहने से आरिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शामिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

